



FORM No. II

फर्द अहकाम

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अपराध प्रकरण) एवं अपर रौशन न्यायाधीश क्रम-1, बून्दी (राज०)
परिवादी का श्रीमती नीलम कुमारी कनिष्ठ अभियंता (अ-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी

FIR No 621/25 U/S 135 E.Act, 2003 FR.No 33/26 थाना A.P.T.P.S Bundi

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ज.वि.वि.नि.लि. बून्दी बनाम श्री गंवरलाल गुर्जर 1-4/26	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	<p>थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना बून्दी की ओर से यह अन्तिम प्रतिवेदन पेश की गई वर्ज रजिस्टर है श्रीमती नीलम कुमारी कनिष्ठ अभियंता (अ-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी ने विभागीय अधिकारी के रूप में एफ.आई.आर. वर्ज करवाई थी। जिसकी थाना हाजा के द्वारा तफ्तीश की गई दोराने अनुसंधान प्रकरण में प्रशमन एफ.आर दी है। तथा फरियादी श्रीमती नीलम कुमारी कनिष्ठ अभियंता (अ-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी के द्वारा एफ.आर. स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान कर दी है इसलिये फरियादी को नोटिस दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः एफ.आर. स्वीकार की जाती है। डायरी वापस लौटाई जावे।</p> <p>एफ.आर. फौसला होकर बाद तकमील वपतर हो।</p> <p> अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बून्दी (राज०) वेप सं० ३-.....</p> <p> सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत बून्दी (राज०) वेप सं० ३-.....</p>	